<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) हमीरपुर</u>

सेशन केस/परिवाद सं०–777/2021

श्रीमती सुनीता बनाम सुमन आदि

<u>15.07.2022</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

संक्षेप में, परिवाद पत्र के अनुसार तथ्य हैं कि आवेदिका दिनांक 02.09.2021 सुबह लगभग 7:20 बजे अपनी केसर दीदी, पति राजकिशोर व बच्चे प्रांजल के साथ अपने घर में थी। तभी अचानक आवेदिका की जेठानी सुमन पत्नी राजेन्द्र, भूरी, बाबूराम, इन्द्रपाल व चन्द्रपाल व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ जमीनी रंजिश के कारण उसके घर घुस आये। आवेदिका व उसके पति राजकिशोर को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इसी मारपीट के दौरान उक्त लोगों द्वारा उसके सोने के कान के बाले व एक गले की सोने की चेन छीन ली। वहां पर उपस्थित उसकी दीदी केसर देवी व पुत्र ने बीच बचाव किया तो उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

परिवादिया ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य कराया गया व धारा 202 द०प्र०सं० के तहत साक्षी श्रीमती केशर देवी व राजकिशोर को परीक्षित कराया, जिन्होंने परिवादिया के कथनों का समर्थन किया।

परिवाद पत्र में घटना से सम्बन्धित उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों, परिवादिया द्वारा दिये गये बयान एवं धारा 202 द०प्र०सं० के तहत परीक्षित कराये गये साक्षीगणों के बयानों सहित उपलब्ध अन्य प्रलेखों का भी अवलोकन किया।

उपरोक्तानुसार साक्ष्य से परिलक्षित होता है कि विपक्षीगण के द्वारा वादिया के घर में जमीनी रंजिश को लेकर अचानक घुसकर गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी और वादिया के सोने के कान के बाले व गले की चैन छीन ली। अतः प्रथम दृष्टया विपक्षीगण सुमन, भूरी, बाबूराम, चन्द्रपाल व इन्द्रपाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 392, 451, 504 , 506 भा०दं०सं० में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण को उपरोतानुसार धाराओं में संज्ञान लेते हुए तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **सुमन, भूरी, बाबूराम, चन्द्रपाल व इन्द्रपाल** को धारा 323, 392, 451, 504 , 506 भा०दं०सं० के अपराध में विचारण हेतु तलब किया जाता है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध समन जारी हो एवं पैरवी की जाये। परिवादिया दं०प्र०सं० की धारा 204(2) के अन्तर्गत अभियोजन के साक्षियों की सूची प्रस्तुत करे। अन्तर्गत धारा 204(3) दं०प्र०सं० के तहत प्रत्येक समन के साथ संलग्न करने हेतु परिवाद की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध करायी जाये। तदोपरांत उक्त आदेशिका जारी हो। पत्रावली दिनांक 03.09.2022 को वास्ते हाजिरी मुल्जिमान पेश हो।

(विनीत कुमार वासवानी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
जनपद हमीरपुर